ग्रामीण पाठकों के लिए

भारत के नागरिकों के अधिकार

प्रीतम सिंह सफीर

अनुवाद

बलराम दत्त शर्मा

चित्रांकन

इमरोज़

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

ISBN 81-237-3001-2

पहला संस्करण : 2000 (शक 1921)

Bharat De Vasnikan De Adhikar (*Hindi*)
रु. 6.00

निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
ए-5 ग्रीन पार्क, नयी दिल्ली - 110 016 द्वारा प्रकाशित

सूची

1. देश की तत्कालीन दशा

विशाल भारत की तत्कालीन दशा पर विचार करना आवश्यक होगा।

अंग्रेजी राज के समय यह देश बहुत विशाल था। इसके एक ओर तो ऐसे दर्रे यानि पहाड़ी रास्ते थे जो यहां से अफगानिस्तान तक जाते थे। दूसरी तरफ इस देश की सीमाएं पाकिस्तान को छूती थीं। उत्तर में हिमालय की खूबसूरत घाटियां और बर्फ से ढकी सुंदर चोटियां थीं। दक्षिण में श्रीलंका दिखाई देता था, तिब्बत भी हमारे देश के साथ था।

शुरू से ही इस देश में विभिन्न जातियों एवं रंगों के लोग रहते आए हैं जो अलग-अलग बोलियां बोलते हैं।

अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए सभी जनसाधारण को जागरूक करना आवश्यक था। अपना राज स्थापित करने के लिए सभी को कुछ न कुछ त्याग तो करना ही था। गुलाम देश के लोग अपनी फौज बनाकर लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। आजादी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देशवासियों को पक्के इरादे से और शांत रहते हुए अपनी-अपनी लोक शक्ति का प्रयोग करना जरूरी था।

भारत हमारी ऐसी माता है जो समय-समय पर ऐसे सपूतों को जन्म देती रही है जिन्होंने इसकी आशाओं और उमंगों को पूरा किया।

जनसाधारण को शांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने के लिए मोहन दास करमचन्द गांधी अर्थात महात्मा गांधी सामने आए। उन्होंने शुरू

में ही फैसला कर लिया था कि वह अपना सारा जीवन शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए समर्पित कर देंगे। उन्हें अलग-अलग प्रांतों से अपने विचारों से मेल खाते साथी मिल गए। गांधी जी को ऐसे साथी भी मिले जो लगातार उनके संपर्क में रहते हुए देश की आज़ादी के लिए सोच विचार करते थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, पंडित गोविंद वल्लभ पंत उनके ऐसे ही बहुत से साथियों में से थे। आम जनता ने भी शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन को जान-समझ लिया था। देश के अलग-अलग भागों में शांतिपूर्ण आंदोलन अपना असर दिखाने लगा था।

शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले नागरिकों में ऐसी जागृति आनी ही थी जो उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करती थी। देश के लोगों को यह अनुमान हो गया था कि अंग्रेजी शासन समाप्त होते ही देश आज़ाद हो जाएगा, और जिससे उनका जीवन काफी सुखी हो जाएगा। सारे देश की जनता को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करना आवश्यक था और इसके लिए यह भी जरूरी था कि लोगों में यह विश्वास भी जगाया जाए कि देश आज़ाद होने पर लोगों को वैसी ही सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो दुनिया के अन्य देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं। अपना शासन होगा तो अपने देश के पढ़े-लिखे योग्य स्त्री-पुरूषों को ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करने की सुविधा होगी। लोगों में बेहद उत्साह जाग गया था। हर मोर्चे के समय लोग खुशी-खुशी जेल जाने के लिए तैयार हो जाते थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

महात्मा गांधी के आह्वान पर लोग बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते थे।



महात्मा गांधी

अंग्रेज सरकार के लिए यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसकी शक्ति का उसे अनुमान नहीं था। वे जो अंग्रेजों ने बड़े-बड़े अफसर लगाए थे उन के ही रिश्तेदार जेलें भरने लग गए थे।

देश की किस्मत बदल रही थी। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। मैं भी सदस्य बन गया और जब भी मौका मिलता तो लोगों को यह विश्वास दिलाता कि जब आज़ादी आ जाएगी तो उन्हें भी वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो अंग्रेजी शासन में बड़े मगर अधीन पदों पर काम करने वालों को मिलती थी। भाषण सुनने आए लोगों की आंखों में आशा की अनोखी चमक दिखाई देती थी। आम लोग ही नहीं बल्कि अच्छे और विशेष लोग भी जेल जाने को तैयार रहते। जब कोई जेल से रिहा होकर आता तो उसे लोगों द्वारा फूलों के हार पहनाने की होड़ लग जाती थी। आज़ादी के लिए हर वर्ग के लोग इन आंदोलनों में शामिल हो गए थे। उन्हें पूरी आशा थी कि देश की आज़ादी के बाद उन्हें अनगिनत ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जिनसे उन्हें बहुत लाभ होगा। आज़ादी की लड़ाई में शामिल लोगों को विश्वास था कि आज़ादी मिलने के बाद जो सरकार बनेगी वह लोगों की अपनी सरकार होगी अर्थात देश में "लोकराज" होगा।

उस समय जो दृष्टिकोण था, उसके ठीक उलट दुःख की बात यह हुई थी कि आज़ादी मिलने के बाद देश दो भागों में बंट गया। फिर बांग्लादेश भी बन गया।

तत्कालीन भारत के नेता आज़ादी के बाद देशवासियों को नया जीवन देने के लिए तत्पर थे। वह अपने दृष्टिकोण के अनुसार भविष्य के लिए एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिसके अनुसार केन्द्र और राज्यों में सरकारें काम-काज करें। इसलिए देश का संविधान

स्पष्ट और आधुनिक बनाया जाना था। भारत के शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन की प्रशंसा सभी देशों ने की थी। भारत ने इस तरह आज़ादी प्राप्त करके एक महान कारनामा कर दिखाया था। देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो हमेशा के लिए उपयोगी हो। सभी देशवासियों को समान अधिकार दिया जाना ज़रूरी था। उद्देश्य यह भी था कि भारतीय जनता को आपस में जोड़कर उन में भरोसा पैदा किया जाए। वे यह समझें कि आज़ाद होते हुए वे जो भी उचित काम चाहें, कर सकें। सरकारी नौकरियों के लिए भी एक जैसा नियम बनाना था। देश की जनता को यह भरोसा दिलाना आवश्यक था कि सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। सारी जनता के साथ बराबरी का इंसाफ होना था। किसी भी सरकारी संस्था को जाति-बिरादरी के आधार पर पक्षपात करने की छूट नहीं थी।

इस देश के नेता दूसरे देशों की हालत भी जानते थे। उनका सपना था कि भारत भी उन्नत देशों की तरह विकास करे और आगे बढ़े।

कांग्रेस के "चार आने" वाले सदस्य भी इस के लिए तैयार थे कि देश का भविष्य इस तरह से लिखा जाए कि उसकी स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा अच्छी हो।

दूसरे देशों की शासन पद्धति का अध्ययन करके ही भारत का संविधान बनाया जाना था ताकि सारे देशवासी अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत हो सकें।

2. देश का संविधान

संविधान सभा के लिए ऐसे लोगों को चुना गया था जो आने वाले समय के बारे में भी सोच सकते हैं, और जिनकी दृष्टि दूसरे देशों के संविधानों पर भी हो। यह काम ऐसे लोगों को सौंपा गया जिन्हें दूसरे देशों में चल रही सरकारों के इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी थी। अपने देश के लिए ऐसा संविधान बनाना जरूरी था जिसके आधार पर केन्द्र और राज्यों में सरकारें ठीक ढंग से चल सकें। सारी दुनिया को ध्यान में रखकर भारत को नया और न्यारा बनाना था। कानून की नजर में ग़रीब और अमीर के फर्क को मिटाना था। 'सच्ची सरकार' का रूप देने के लिए एक दलित मगर महान कानूनदान डा० भीम राव अम्बेडकर को चुना गया। देश के संविधान में देशवासियों को ऐसे अधिकार ज़रूर दिए जाने थे जो हर नागरिक के मूल अधिकार होते हैं। हर देशवासी के राजनैतिक अधिकार भी एक जैसे ही होने चाहिए थे। हर एक को अपनी रोज़ी-रोटी कमाने, काम करने का अधिकार भी दिया जाना था।

इस विशाल देश के नागरिकों को उनके अपने-अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन बिताने का अधिकार दिया जाना था। आज़ादी सभी को मिली थी। सभी को एक जैसी सुविधाएं मिलनी ज़रूरी थी। शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन के समय जो उम्मीदें जनसाधारण के मन मस्तिष्क में जागी थीं, उसी की रोशनी में भारत का संविधान बनाया जाना था।



डाक्टर भीम राव अम्बेडकर

इस देश का संबंध तो ब्रिटेन से रहा था, पर रूस जैसे देश भी इसके सामने थे। संविधान सभा को सरकारों के अलग-अलग ढंग और आकारों को ध्यान में रखना था। दुनिया में बड़ी-बड़ी

सरकारें भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में बनी थीं। भारत का संविधान तो नई राहं दिखाने वाला बनाया गया था। संविधान सभा ने आज़ादी से पहले ही भारत के संविधान की रचना का काम सितंबर, 1946 में शुरू कर दिया था। उसने अपना काम 26 नवंबर, 1949 को पूरा भी कर लिया।

संविधान के शुरू की घोषणा में कहा गया है:

हम भारत के निवासी दृढ़ निश्चय करने के बाद यह मानते हैं कि भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया जाए। इसके साथ ही सभी देशवासियों को ये सुविधाएं भी मिल सकें कि :-

1. आम जनता को बराबर का न्याय मिले।
2. आय के लिए अपनी इच्छा का कारोबार करने का अधिकार हो।
3. सरकारी कामों में स्वतंत्र रूप से हिस्सा लेने का अधिकार हो।
4. सोचने, विचारने, बोलने, धार्मिक विचार रखने और पूजा की आज़ादी हो।
5. एक दूसरे से मेल जोल रखने और देश को शक्तिशाली बनाने का अधिकार हो।

हमने अपनी संविधान सभा में निर्णय लिए हैं और आज 26 नवंबर, 1949 को भारतवासियों अर्थात आपको नया संविधान दे रहे हैं:

1. संविधान में सबसे पहले उन बुनियादी अधिकारों के बारे में बताया गया है जो भारत के हर नागरिक को संविधान के अनुसार मिलने वाले थे। शुरू में ही संविधान द्वारा

स्पष्ट किया गया कि जो भी कानून इस देश में संविधान बनने से पहले चल रहे थे, और जो संविधान विरोधी थे वे सारे के सारे समाप्त कर दिए गए।

2. यह भी स्पष्ट किया गया कि न तो केंद्र सरकार और न ही कोई राज्य सरकार ऐसा कानून बनाएगी जो संविधान में दिए गए अधिकारों के विरूद्ध हो। संविधान विरोधी जो भी कानून बनाया जाएगा, उसे कानून माना ही नहीं जाएगा।

3. ऊपर दिए गए दृष्टिकोण में कानून वह होगा जो किसी भी सरकार द्वारा बनाया या जारी किया गया आदेश होगा, फिर ऐसी मर्यादा होगी जो पहले से चल रही हो, जिसे देश के किसी भी हिस्से के निवासी कानून समझकर मानते रहे हों।

4. "प्रचलित कानून" में ऐसे सभी कानून शामिल माने जाएंगे जिन्हें कभी भी किसी " कानून बनाने वाली " संस्था ने बनाया हो या किसी सरकारी संस्था ने लागू किया हो और जिन्हें देश का नया संविधान बनाने से पहले रद्द न किया गया हो।

समानता का अधिकार

1. देश की सरकार किसी भी नागरिक को कानून के सामने समान न्याय पाने का अधिकार देगी। किसी से भी ऐसा अधिकार और अपने बचाव का अधिकार छीना नहीं जाएगा।

2. सरकार देश के सभी नागरिकों को बराबर मानेगी! धर्म,

जाति, बिरादरी या किसी स्थान विशेष पर जन्म लेने के कारण कोई रुकावट नहीं आएगी कि वह :-

1. अलग-अलग व्यापार करने वाली दुकानों से जो चाहे खरीद सकें।
2. वह सार्वजनिक स्थानों, होटलों, तमाशा दिखाने वाली या मनोरंजन वाली जगहों पर जा सकें।
3. किसी भी नागरिक को ऐसे किसी कुएं या तालाब, या फिर नहाने की कोई और जगह, सड़क आदि जो सरकारी खर्च से बनाई गई हो, का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा।

सभी भारतवासियों को उक्त अधिकार देते हुए यह भी कहा गया कि हर एक को सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर समान अवसर दिया जाएगा। ऐसे अधिकार द्वारा सरकारी नियमों के अनुसार ही किसी पिछड़ी जाति के नागरिकों को किसी योग्य पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

किसी समय इस देश के कई भागों में ऊंची जाति के लोग कुछ नागरिकों को हेय दृष्टि से देखते थे। उनका हाथ लगाते ही वे अपने शरीर को अपवित्र समझने लगते थे। छुआछूत की बीमारी हर राज्य में फैल चुकी थी। देश के नए संविधान के अनुसार छूतछात समाप्त कर दी गई। कोई अछूत न रहा। सभी समान हो गए।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय दूरदृष्टि अपनाई गई। देश के नागरिकों को कुछ अधिकार तो प्राप्त हुए ही थे, उन पर कुछ पाबंदियां लगाने के बारे में भी सोचा गया। कुछ पाबंदियां जो लगाई गई थीं, वे इस प्रकार थीं :-

1. कोई भी देशवासी किसी भी विदेशी सरकार से कोई सामान नहीं लेगा।

2. किसी और देश का नागरिक जो इस देश की सरकार में किसी पद पर हो, वह इस देश की सरकार की रज़ामंदी के बगैर किसी विदेशी सरकार से कोई सामान प्राप्त नहीं करेगा।

3. कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो, जिसका उसे वेतन मिलता हो, वह भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी सरकार से कोई उपहार नहीं लेगा या किसी और देश की नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी पाबंदियां लगाने का उद्देश्य यह था कि सारी दुनिया को इस देश की आज़ादी के बाद निर्धारित की गई दिशा का सही-सही ज्ञान हो सके।

सारे भारतवासियों को संविधान के अनुसार यह भी अधिकार प्रदान किया गया कि :-

1. वह बोल कर या लिखकर अगर कुछ बताना चाहें तो वह पूरी आज़ादी से ऐसा कर सकता है।
2. किसी भी कारण से लोग शांतिपूर्वक ढंग से और हथियारों के बिना कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं।
3. अपनी संस्थाएं बना सकते हैं।
4. भारत के किसी भी भाग में अपने रहने की जगह बनाकर रह सकते हैं।
5. अपनी आजीविका के लिए कोई पेशा या व्यवसाय कर सकते हैं।

उपर्युक्त सभी सुविधाओं को सामने रखते हुए सरकार को यह अधिकार होगा कि वह भारत की आज़ादी एवं एकता के लिए ज़रूरी

कानून बना सके।

ऐसे कानून तब भी बनाए जा सकेंगे जब देश की एकता के लिए इनकी आवश्यकता हो या न्यायालय की अवमानना रोकने की ज़रूरत हो।

किसी को ऐसे जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती जो किसी प्रचलित कानून के तहत जुर्म न हो।

किसी भी व्यक्ति को किसी एक जुर्म के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। जुर्म को रोकने के लिए भी कानून बनाया जा सकता है। भारतवासियों को जाति-भेद या उसके काम-काज के भेद के बिना देश के सारे कानूनों की दृष्टि में एक समान रखा गया।

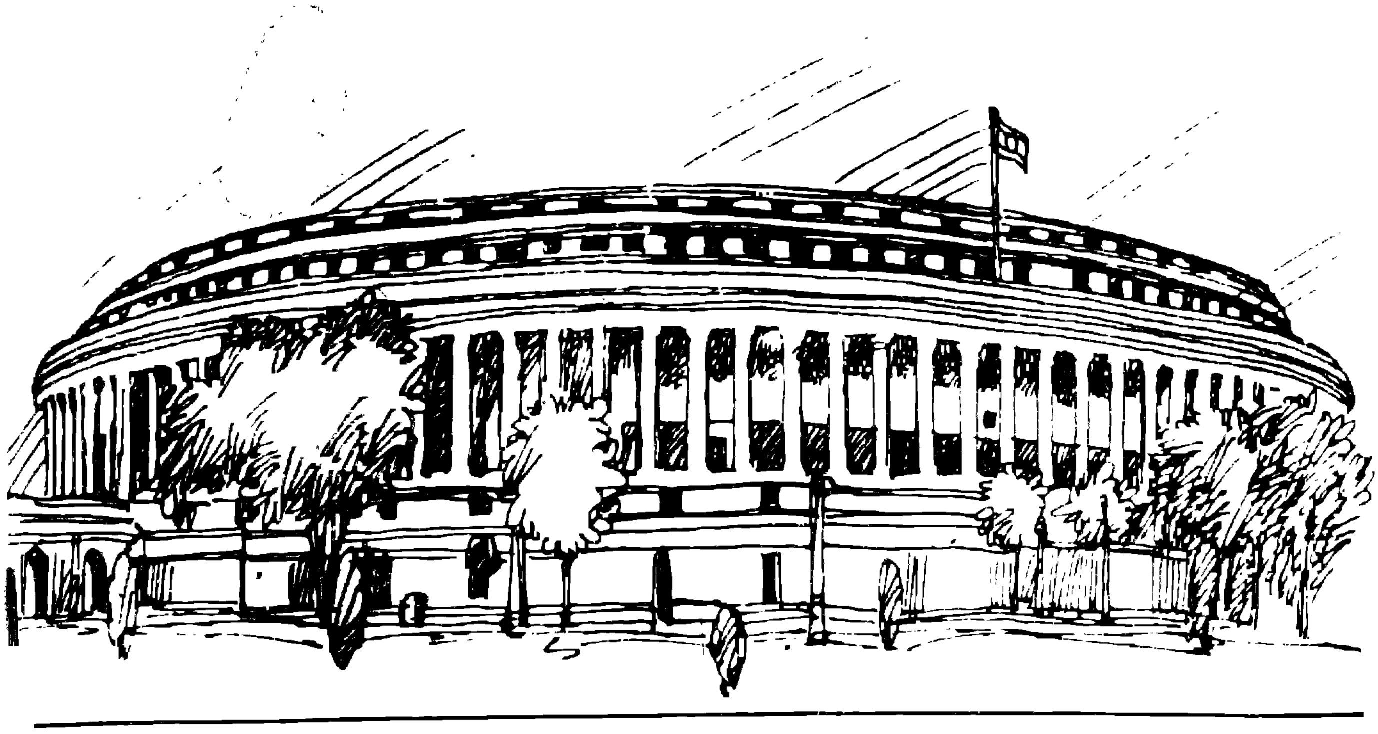
यह भी निश्चित किया गया कि चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे किसी भी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जाएगा, जहां काम करने वालों के लिए कोई ख़तरा हो।

संविधान ने धार्मिक रीति रिवाजों को पाबंदियों से मुक्त कर दिया।

किसी भी नागरिक को धर्म विशेष या जाति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने और शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता।

सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएं चलाने की अनुमति दी जाए।

हर भारतवासी को यह अधिकार मिल गया कि वह नियमों के अनुसार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटा सके। उच्चतम-न्यायालय के निर्धारित कानून के अनुसार वहां सीधा भी जाया जा सकता है। और



संसद भवन का दृश्य

उच्च-न्यायालय के फैसलों के बाद भी न्याय पाने के लिए देश के सर्वोच्च-न्यायालय के पास जाया जा सकता है।

संसद को यह विशेष अधिकार रहेगा कि वह ऐसे कानून बनाए जो भारतीय सेना और जासूसी करने वाली एजेंसियों को कुछ कानूनों से मुक्त रख सके। संसद के पूर्ण अधिकार स्वीकार किए गए। देश के लिए संविधान बनाते समय आदर्श सिद्धांत अपनाए गए थे। यह मान लिया गया कि :-

1. हर नागरिक चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, को अपनी रोज़ी-रोटी कमाने का अधिकार होगा।
2. देश के सामूहिक विकास के लिए धन को काम में लेने की योजनाएं बनायी जाएंगी।
3. समान काम के लिए पुरुष या स्त्री को समान वेतन दिया जाएगा।
4. स्त्रियों और बच्चों से इस तरह का काम लिया जाएगा

कि जिससे उनका स्वास्थ्य खराब न हो।

5. सरकार से आशा की गई कि वह ऐसे कानून बनाएगी जिससे कारखानों में काम करने वाले श्रमिक भी कारखाने के प्रबन्ध-तंत्र में भागीदार हो सकें।
6. सरकार से आशा की गई कि वह लोगों के रहन-सहन और उनकी आजीविका के बारे में ऐसा प्रबन्ध करेगी कि सभी नागरिक एक स्वस्थ एवं सुखी जीवन बिता सकें।
7. भारत के जंगलों और उनमें रह रहे जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना था।
8. पुराने अर्थात ऐतिहासिक स्थान आदर के योग्य माने जाएँगे। उनकी देखभाल एवं सुरक्षा की पूर्ति की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उनकी जरूरी मरम्मत भी सरकार कराएगी।

संविधान में यह भी निर्धारित किया गया कि विधायिका एवं न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए अपने कर्त्तव्य का पालन करेगी।

सरकार को दुनिया के शेष देशों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मेल-जोल एवं संबंध रखने के लिए तैयार रहना था।

किसी देश से किसी बात पर मतभेद होने से किसी देश की मध्यस्थता से उसका निवारण करना होगा। सरकार को जात-पात या कौम के आधार पर पक्षपात किए बिना शासन करना होगा। संविधान का पालन करते हुए सारे देशवासियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा।

भारत का संविधान कठिन परिश्रम के बाद तैयार किया गया था। हर प्रस्ताव को काफी सोच-विचार करने के बाद पारित किया

गया था। दूसरे स्वतंत्र देशों की उन्नति को ध्यान में रखते हुए भारत के भविष्य का आधार रखा गया था। संविधान द्वारा देशवासियों को अनगिनत अधिकार और सुविधाएं देने के साथ-साथ उनकी जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई :-

1. सभी को देश के संविधान, झण्डे और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा।
2. देश की स्वतंत्रता और एकता को बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा।
3. प्रतिकूल परिस्थिति में हर भारतवासी का कर्त्तव्य होगा कि देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हर तरह की सहायता एवं त्याग के लिए तैयार रहना होगा।
4. प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह विभिन्न धर्मों, बोलियों और हर प्रकार की प्रांतीयता से ऊपर उठकर देश की एकता को बनाए रखें।
5. सरकारी या सार्वजनिक उपयोग में आने वाली इमारतों या स्थानों को साफ सुथरा एवं सुरक्षित रखना भी हर नागरिक का कर्त्तव्य होगा।
6. देश की झीलों, नदियों, जंगलों को साफ सुथरा रखना और उन्हें उपजाऊ बनाए रखना हर देशवासी का कर्त्तव्य होगा। जंगल काटना और जंगली जानवरों का शिकार करना वर्जित होगा।

अब यह हाल है कि अगर दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएं तो सभी प्यार करते हैं, हर तरह का आदर सत्कार करते हैं। भारत एक विशाल देश है। जिसकी प्राचीन सभ्यता अभी भी सराहनीय है।

वेदों के प्रकाशित होने से इसकी धार्मिक उत्कृष्टता और बढ़ गई है। वेद संस्कृत में और "श्री नारायण" परमात्मा की ओर से "ब्रह्मा" जी से लिखवाए गए हैं। वेदों में परमात्मा का यश गाया गया है। इसी की उपासना का प्रचार किया गया है। वेद मत हिन्दू धर्म के रूप में फला-फूला। इस देश में इस्लाम का आगमन मुग़ल शासकों के द्वारा आया। पठानों और मुग़लों के शासन-काल में इस्लाम हमारे देश के लगभग हर हिस्से में फैल गया।

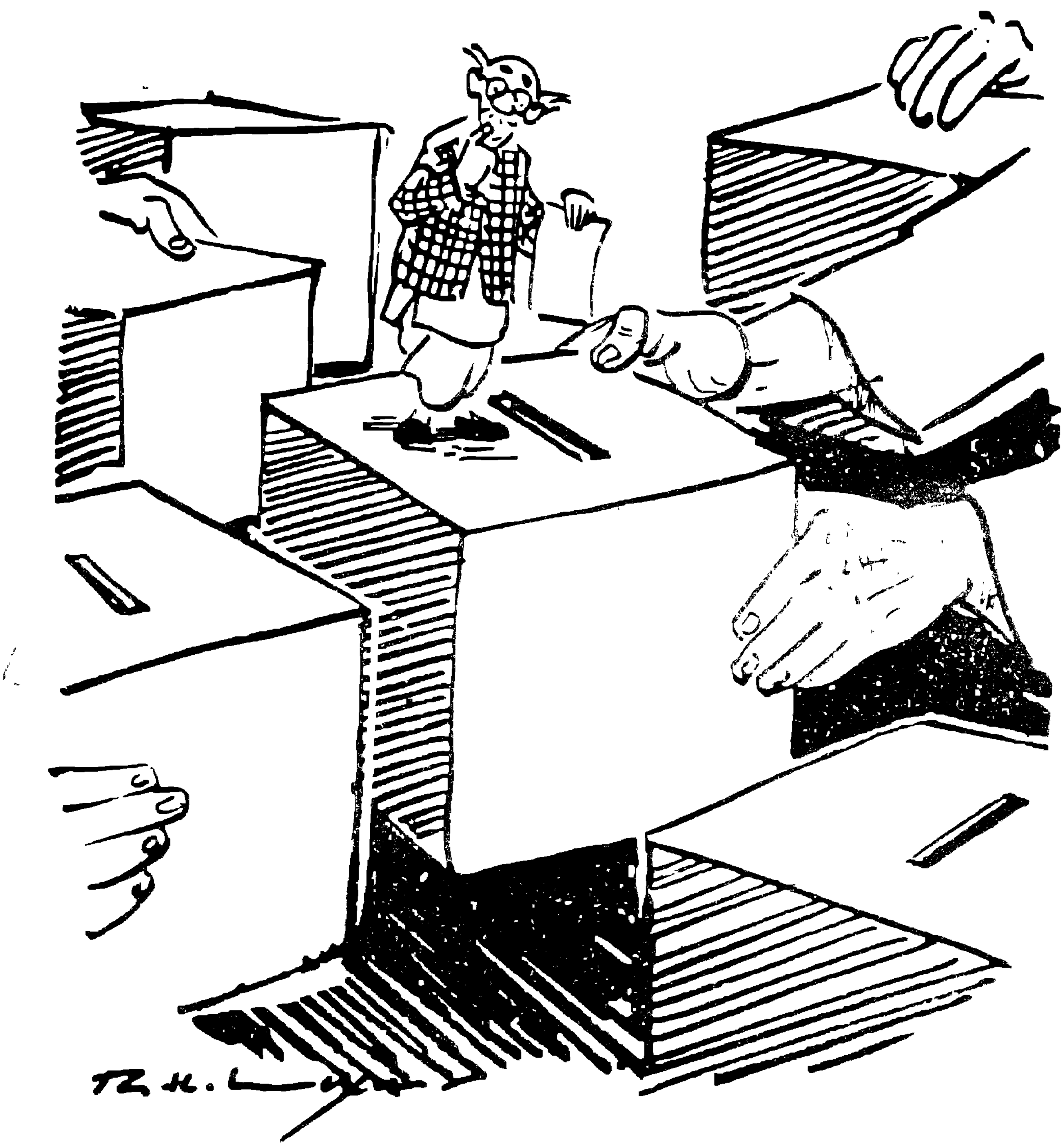
अंग्रेजों के शासन-काल में यहां ईसाई धर्म का प्रचार होता रहा। पिछड़ी और निचली जातियों के गरीब लोग धर्मांतरण द्वारा ईसाई बनते गए।

सिक्ख धर्म समानता पर आधारित है। किसी महापुरूष ने कहा था कि जिस तरह हर पौधे या पेड़ का बीज अलग होता है उसी तरह सिक्ख धर्म का बीज भी अलग है। सिक्ख धर्म के बीज का विशेष अंतर यह है कि इसमें नम्रता है।

भारत में उपर्युक्त प्रचलित धर्मों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भाग भी हैं जहां रहने वाले नागरिक विभिन्न धार्मिक विचारों के अधीन स्वतंत्र जीवन बिताते हैं।

भारत की स्थिति का पूरा ध्यान संविधान सभा ने रखा था। हर पक्ष पर विचार करके संविधान में इस बात पर जोर दिया गया कि सारे भारतवासी समान हैं। कानून की दृष्टि में कोई बड़ा-छोटा नहीं है।

डाक्टर भीम राव अम्बेडकर जिनकी, विद्वता ने संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, कोई पंडित नहीं थे। वह पिछड़ी जातियों में से थे। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सारे देशवासियों को समान अधिकार दिए गए हैं।



लोकतंत्र में आदमी फैसला करता है कि उस का प्रतिनिधि कौन है।

इस देश के लोगों को यह अधिकार है कि वे संसद में लोक सभा के सदस्यों को अपने वोटों के अधिकार पर चुनें। केन्द्र सरकार बनाने के लिए लोग इसी तरह अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। उनके चुने हुए सदस्यों को पता रहता है कि अगर वे अपने क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तो अगली बार लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। यह स्थिति संविधान से बनी है। सभी सदस्य कोशिश करते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों को सुविधाएं देनी हैं। सरकार चलाने वाले तंत्र हर समय लोगों के सुखों, सुविधाओं का ख्याल रखते हैं।

प्रधानमंत्री इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि लोग उन की सरकार के विरुद्ध न हों।

3. देश के संविधान में लोगों के अधिकार

समस्त संसार के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं से मिलते जुलते अधिकार हमारे देश के संविधान में भी शामिल हैं। इस पक्ष को परखने के लिए कुछ उदाहरण ज़रूरी हैं :-

सारे संसार के नागरिकों के अधिकार	**हमारे संविधान में उनसे मिलते जुलते अधिकार**
संसार के समस्त नागरिक, एक ही तरह जन्म लेते हैं और अपना सम्मान करवाने के और शेष अधिकारों के एक जैसे पात्र हैं।	1. देश की सरकार किसी भी देशवासी को कानून की नजर में समानता को नहीं बदलेगी। देश का कानून सभी से समान व्यवहार करेगा।
2. संसार के समस्त नागरिकों में धर्म रंग के कारण पक्षपात नहीं किया जाएगा।	2. देश की सरकार किसी भी देशवासी से अलग धर्म, अलग रंग या पैदाइश आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।
3. किसी के लिए पराधीनता नहीं रहेगी।	3. देश के नागरिकों को आपस में या देश के बाहर बेचा नहीं जाएगा। किसी से जबरन कोई भी काम नहीं लिया जाएगा।

4. किसी पर अत्याचार नहीं किया जाएगा, न ही किसी की अवमानना की जाएगी।	4. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उन कैदियों को भी जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, हथकड़ी लगाकर लोगों को नहीं दिखाया जाएगा।
5. कानूनी कार्यवाही पूरी होने और जुर्म सिद्ध न होने तक कोई भी निर्दोष माना जाएगा।	5. हर देशवासी को तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक किया गया जुर्म क़ानूनी रुप से सिद्ध नहीं हो जाए।
6. अपनी इच्छा से कहीं भी आने, जाने और रहने की स्वतंत्रता होगी।	6. हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता होगी।
7. हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार होगा।	7. सभी भारतवासियों को यह अपने धर्म के अनुसार जीवन बिताने और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है।
8. लोगों को शांतिपूर्वक मिल बैठने और संस्थाएं बनाने का अधिकार रहेगा।	8. भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक मिल बैठने की आजादी है। उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए।
9. सभी को अपनी इच्छा के अनुसार नौकरी करने का अधिकार है।	9. सभी भारतवासियों को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए योग्य समझे जाने पर नौकरी करने की सुविधा होगी।

10. सभी को रहने की समान सुविधाएं होंगी जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके।	10. सरकार का ऐसा प्रयास होगा कि जनता को ऐसी सुविधाएं प्राप्त हों जिनके कारण जीवन और स्वास्थ्य ठीक रहे।
11 सभी को अपनी इच्छानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।	11. 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेवारी सरकार की होगी।

ऊपर बताए गए राष्ट्रीय अधिकारों के अतिरिक्त भारतवासियों को बहुत सी जरूरी सुविधाएं भी देने के लिए यत्न करने की अनुमति दी गई।

पिछड़ी जातियों और कम गिनती के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने एवं सरकारी संस्थाएं बसाने के लिए भारतीय संविधान में नियम निर्धारित किए गए।

आचरण विरोधी काम करने के लिए लड़कियों और लड़कों की खरीद पर रोक लगा दी गई। सरकार को हर तरह से नागरिकों के आचरण की रक्षा करनी थी।

सती की प्रथा समाप्त करने के लिए संविधान के अनुसार कानून बनाया गया।

भारत के कई भागों में छोटी आयु के बच्चों के विवाह रचाए जाते थे। बाल विवाह रोकने के लिए कानून बनाया गया। भारत सरकार ने और भी बहुत से कानून बनाए जिससे हर वर्ग के लोगों को अनेक लाभ हुए।

इस लोकतंत्र में जहां एक ओर पंजाब और हरियाणा को देखना

होता है वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश और उत्तरप्रदेश के पहाड़ी इलाकों के नागरिकों का भी ध्यान देना होता है। मध्यप्रदेश की दिशा अलग है। दक्षिण में समतल क्षेत्र भी हैं और पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। उन क्षेत्रों की आवश्यकताएं विभिन्न हैं जो समुद्र से सिर्फ 15 या 20 मील की दूरी पर हैं। दक्षिण के बड़े शहरों से दूर के क्षेत्रों के नागरिकों से मात्र संकेत के द्वारा बात करनी पड़ती है। संविधान में समस्त भारत को एकत्र रखा गया है। त्रिवेंद्रम और उसके निकटवर्ती छोटी-छोटी बस्तियों में जाकर मुझे इस बात की खुशी हुई कि हम एक ही देश के निवासी हैं।

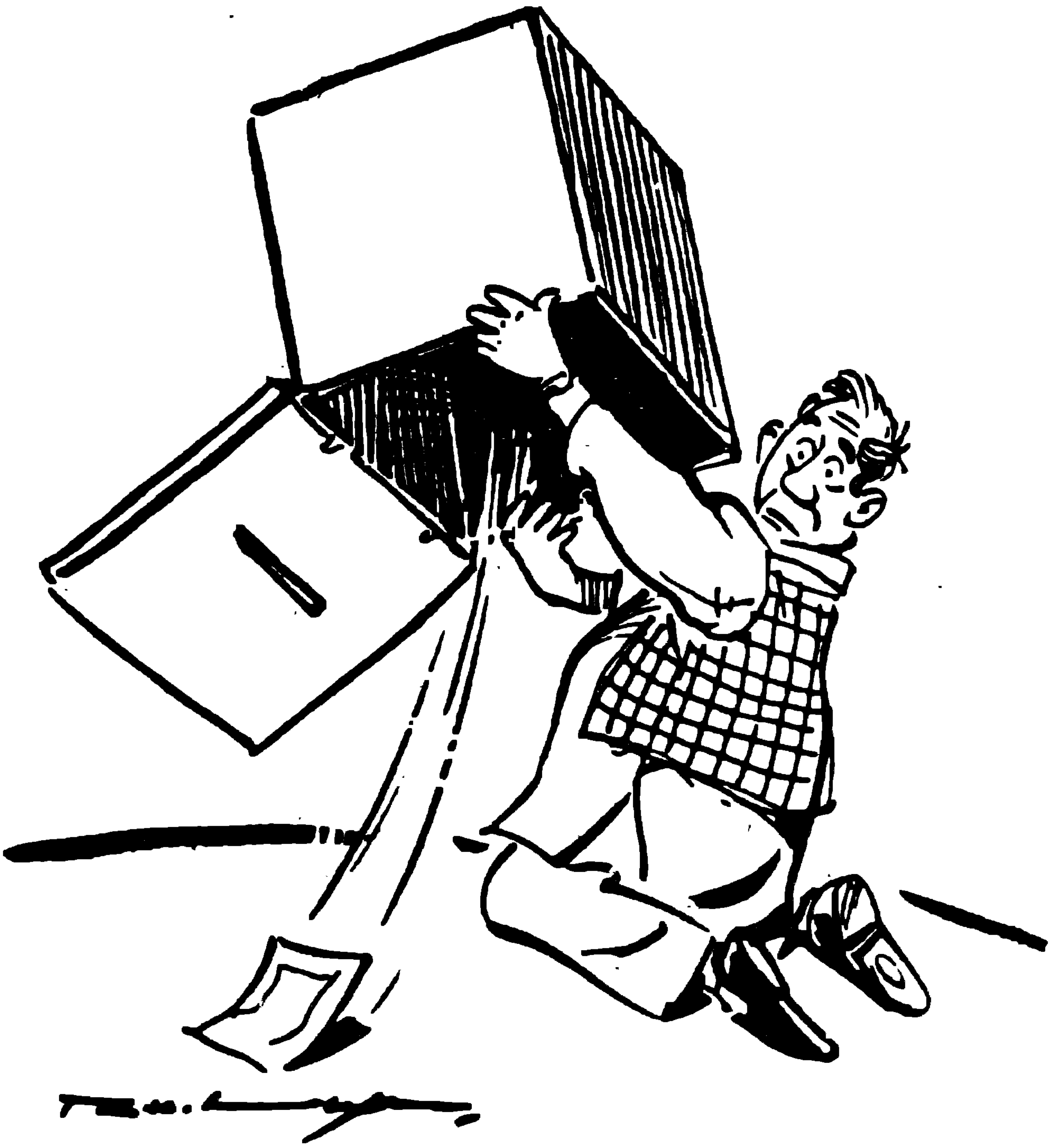
उत्तरप्रदेश की पहाड़ियों, नदियों से लेकर कन्याकुमारी के मंदिरों तक अपनापन समस्त भारतवासियों में है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश के संविधान के अनुसार समस्त भारतवासी एक दूसरे से प्यार करते हैं।

देश के किसी भी प्रांत के नागरिकों को जब भी सरकारी सुविधा की आवश्यकता होती है केन्द्र और राज्य सरकार नया कानून बनाकर उनकी मांगें पूरी करते हैं।

केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें मतदाताओं से वोट लेकर संविधान के अनुसार बनती हैं।

संविधान में यह निश्चित किया गया कि लोक सभा तथा विधान सभा का गठन मतदाताओं के मत द्वारा किया जाएगा। मतों की सूची प्रत्येक क्षेत्र में मतदाता सूची बनाना तय किया गया था। मतदाता सूची के अनुसार ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोक सभा और विधान सभा का गठन कर सकें।

कोई भी नागरिक अपने धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जा सकता था। समस्त चुनाव



निराश न हों। लोकतंत्र आपको अधिक सफलतापूर्वक चुनाव लड़ने का दुबारा मौका देता है।

नेक नीयत से सभी को संतुष्ट करने के ढंग से होने थे।

जो लोग मत देने का अधिकार रखते थे उन्हें निष्पक्ष ढंग से अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देकर उन्हें प्रसन्न और संतुष्ट रखना था। हर उम्मीदवार को वोट देने के लिए कुछ शर्तें करनी पड़ती थीं।

यह स्पष्ट किया गया कि हर एक मतदाता चुनाव तिथि के दिन 18 साल से कम का नहीं हो, उसका मतदाता होना गैरकानूनी न हो। उस का निवास चुनाव क्षेत्र में हो। वह पागल न हो, जिसे कोई

कानून न रोकता हो, उसे मतदाता सूची में सम्मिलित होने का अधिकार था। ऐसा व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता था। चुनाव सूची प्रत्येक चुनाव से बहुत पहले तैयार करना होगा।

यह तो था, चुनाव के बारे में। हर नागरिक को समान अधिकार, कि वह जिस किसी पद के योग्य हो, उसकी जिम्मेदारी निभाए। साथ ही उस पद से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठाए।

सरकार द्वारा ऐसी कोशिश होगी कि लोगों को न्याय मिले और उनको अपने रोजगार के लिए धन अर्जित करने की सुविधा रहे।

सरकार की आवश्यकतानुसार जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे कानून बनाए जिसके द्वारा खेतों या कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन अधिक सुखी हो। सभी काम करने वालों को उचित वेतन मिले और हर कोई निश्चिंत होकर खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिता सकें।

देश के नागरिकों के रहन-सहन से ही संसार में प्रशंसा हो सकती थी। देश के विकास का अनुमान आम नागरिकों की खुशहाली से ही लगाया जा सकता था। जो नागरिक संपन्न नहीं थे, मगर कठिन परिश्रम का काम कर रहे थे उनकी गिनती अधिक थी। उनके दिन और रातों की सबसे बड़ी मांग यह थी कि जीवन ठीक ढंग से बीते। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना था कि लोग स्वस्थ रहें।

गावों में शहरों से दूर रह रहे नागरिकों की सुख, सुविधा एवं स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी माना गया। ऐसे नागरिक साधारणतः खेतों में थे, उनमें ऐसे भी थे जो कपड़ा बनाने का काम करते थे। वे ऐसा कपड़ा बनाते थे जो खेतों में काम करने वाले इस्तेमाल कर सकें।

देश के संविधान में सरकार का यह दायित्व भी निर्धारित किया

गया कि हमारे देश के दूसरे देशों से संबंध मधुर और सहयोगपूर्ण हों। यह आवश्यक था कि विश्व स्तर पर भारतीय प्रतिभा का सम्मान किया जाए। दूसरे देशों के साथ भारत को व्यापारिक संबंध मधुर रखने थे कि आय में वृद्धि होती रहे। हमारे उत्पादन कौन खरीदेगा, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक था।

भारत को प्रयत्न करना था कि विभिन्न देशों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से निपटाया जाए। भारत को समस्त संसार में एक महान देश के रूप में उभरना था।

संविधान समस्त भारतवासियों से देश की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की आज़ादी को बनाए रखने की अपेक्षा करती है। देश के किसी भी भाग को एक दूसरे का विरोधी नहीं होने देना था।

प्रकृति ने भारत को एक सुंदर देश बनाया है। ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों से निकली छोटी-छाटी नदियां, महान गंगा में जा मिलती हैं। यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का देश है। पंजाब में पांच नदियां बहती हैं। समस्त संसार में भारत को उच्च स्थान प्राप्त है। देश के नागरिकों को सुखी एवं शक्तिशाली रखकर ही उन्नति के मार्ग पर चलाया जा सकता था। हमारे देश का संविधान बनाते समय इस विशाल देश के हर भाग के विकास को ध्यान में रखा गया। सारे राज्यों के नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखा गया। देश की स्वतंत्रता के लिए सभी को तैयार रहना था। इतनी बड़ी दुनिया की विभिन्न बोलियों और विभिन्न संविधान वाले देशों के साथ, सारी कठिनाइयों के साथ अच्छे संबंध रखने थे।

संविधान के अधीन कई कानून भारतवासियों के भले के लिए बनाए गए। 1993 में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया

कानून बनाया गया। सारे देश में पिछड़ी जातियों की सुविधाओं की देख-रेख के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया।

अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में भी 1992 में कानून बनाया गया। इस आयोग का काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना था और कोशिश करना था कि देश के सभी भागों में रह रहे अल्पसंख्यकों को कोई कष्ट न हो। इसी प्रकार 1990 में स्त्रियों के विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया।

पिछड़ी जातियों के लिए भी एक कानून बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 23 के अधीन बुरे और आचरणहीन कर्मों के लिए इंसानों की बिक्री रोकने के लिए 1956 में एक कानून बनाया गया। इसके अतिरिक्त 1961 में शादी के समय दहेज देने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। बच्चे के जन्म से पहले और उसके जन्म के बाद कामकाजी महिलाओं को आराम देने और कुछ दूसरे लाभ देने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता थी। इस काम के लिए इन लोगों को कानून की परिधि में लाना आवश्यक था जिनके यहां ऐसी औरतें काम करती थीं। इस मामले में भी 1961 में एक कानून बनाया गया।

भारत के संविधान ने भारतवासियों के जीवन के किसी भी पक्ष को सरकार की दृष्टि से उपेक्षित नहीं होने दिया। यह भी प्रयत्न किया गया कि संसार के उन्नतिशील देशों की तरह इस देश के नागरिक भी सुखी रहें।

एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा करने के लिए रेलों की सहायता ली जाती है। हवाई जहाज से भी देश के बड़े-बड़े शहरों तक पहुंचा जा सकता है। हवाई जहाज विदेशों में भी ले जाते हैं। सड़कों के द्वारा भी छोटे-छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंचा जा सकता है।

इस देश की शैक्षणिक विकास का अनुमान उन बेशुमार स्कूलों और कालेजों से लगाया जा सकता है जो हमारे देश में कानून विद् और इंजीनियर बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। देश के प्रत्येक राज्य में विश्वविधालय हैं। सरकार ने 1993 में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक संस्था बनाई। इसके बाद एक स्पष्ट कानून जो संविधान संशोधन 10 नवंबर, 1994 के नाम से मशहूर हुआ, भी बनाया। उसके अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा देशवासियों की उन्नति और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बनाए जाने थे। केन्द्रीय आयोग के प्रधान भारत के सर्वोच्च-न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश हैं। इसका सदस्य सुप्रीम कोर्ट का रह चुका जज होना चाहिए। उच्च पदों पर रह चुके व्यक्ति भी इस आयोग के सदस्य हो सकते हैं।

उपर्युक्त आयोग की तरह ही राज्य स्तर के आयोग का भी गठन होना था।

मानव अधिकारों की रक्षा का उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता और निष्ठा के साथ जीवन यापन कर सके। सभी को एक दूसरे में बराबर समझा जाना था। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना था। पक्षपात को मिटा दिया गया था। यह कोशिश की गई कि एक समान अधिकारों के बारे में सभी भारतवासियों को मालूम हो। ग़ैर सरकारी संस्थाओं को उत्साहित किया गया कि वह भी यह प्रचार करें कि सभी भारतवासियों के अधिकार एक जैसे हैं। प्रत्येक नागरिक कानूनी शर्तों के अनुसार लोक सभा या विधान सभा का चुनाव लड़ सकता है। भिन्न परिस्थितियों में पिछड़ी जाति के लोगों को शेष नागरिकों के बराबर मानकर ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाना था। समस्त संसार को यह दिखाना था कि इस देश में हर एक के लिए समान अवसर हैं कि वह उच्च पद पा सकें।

ड़ांसेन्ट प्रिंटर्स, आशा पार्क, नयी दिल्ली द्वारा लेजर कंपोज तथा शिवम् आफसेट प्रेस, नारायणा, नयी दिल्ली द्वारा मुद्रित।